Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

पीयूष कुमार बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **249** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27 OCT 2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। पुलिस थानाधिकारी पुलिस कोतवाली निम्बाहेडा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 302/2021 दिनांक 23.06.2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7, 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्तशुदा वाहनों को प्रार्थी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थी पीयूष कुमार पिता अशोक कुमार जाति सोनी निवासी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, कोतवाली, निम्बाहेडा से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतावली निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/4536 सदिनांक 06.09.2021 से टिप्पणी मय केस डायरी के प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 302/2021 धारा 3/7 एवं 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब्तशुदा वाहनों को पंजीकृत/अधिकृत वाहन स्वामियों को रिलीज किये जाने के संबंध में पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा ने पत्रांक/4536 दिनांक 06.09.2021 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एक टेंकर नंबर **RJ22 GB 2653,** टाटा कम्पनी टेम्पू **RJ20 GB 4559** एवं टाटा कम्पनी टेम्पू **MP14 LC 0282** थाना परिसर में खडे हुये है जिनसे कोई अनुसंधान करना शेष नहीं है। जब्तशुदा वाहन मालिक को सिपुर्द करने पर पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, चूंकि वाहन टेंकर नंबर **RJ22 GB 2653,** टाटा कम्पनी टेम्पू **RJ20 GB 4559** एवं टाटा कम्पनी टेम्पू **MP14 LC 0282** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः वाहन टेंकर नंबर **RJ22 GB 2653,** को रूपये 1500000/- अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये, टाटा कम्पनी टेम्पू **RJ20 GB 4559** को रूपये 500000/- अक्षरे पांच लाख रूपये, एवं टाटा कम्पनी टेम्पू **MP14 LC 0282** को रूपये 500000/- अक्षरे पांच लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी/अधिकृत स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। (तारा चन्द मीणा)	

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़
27 OCT 2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official